इकाई 6 न्याय

इकाई की रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना

6.2 न्याय–विचार

6.2.1 प्रक्रियात्मक न्याय और सत्तावाची न्याय

6.2.2 आवश्यकताएँ, अधिकार और दण्ड–पुरस्कार

6.3 रॉल्स के सामाजिक न्याय संबंधी उदारवादी–समतावादी सिद्धांत

6.3.1 उपयोगितावाद की समीक्षा

6.3.2 रॉल्स के न्याय संबंधी उदारवादी–समतावादी सिद्धांत

6.3.3 सामाजिक अनुबंध प्रक्रिया

6.3.4 समाज की मूल संरचना

6.4 रॉल्स की न्याय संबंधी उदारवादी–समतावादी संकल्पना की कुछ समालोचनाएँ

6.4.1 इच्छास्वातंत्र्यवादी समीक्षा

6.4.2 कुछ मार्क्सवादी समालोचनाएँ

6.4.3 समुदायवादी (communitarian) समीक्षा

6.5 सारांश

6.6 अभ्यास

6.1 प्रस्तावना

राजनीतिक व्यवहार व सिद्धांत में न्याय केन्द्रीय महत्त्व का है। सरकार के कानूनों, सार्वजनिक नीतियों तथा प्रशासनिक निर्णयों का समर्थन करने अथवा विरोध करने में, न्यायेच्छा से ही प्रतिवेदन किए जाते हैं। न्याय का स्तुति–पूर्वक आह्वान राजनैतिक आन्दोलनों, नागरिक अवज्ञा तथा सत्याग्रह अभियानों में भी किया जाता है। इस प्रकार, नागरिक अधिकार अथवा नागरिक अनुज्ञा आन्दोलन अनिवार्यतः न्यायार्थ आन्दोलन हैं। इसी प्रकार दलित, नारी–अधिकारवादी तथा पर्यावरण–संबंधी आन्दोलन हैं।

जबकि एक शिष्ट अथवा योग्य समाज अथवा राज्य–व्यवस्था को अनेक सद्‌गुण अपनाने पड़ते हैं, न्याय, एक व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार, उन सब में *अव्वल* है। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समसामयिक नैतिक व राजनीतिक तत्त्वज्ञ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन रॉल्स के शब्दों में, "न्याय ही सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्‌गुण है।" उन्होंने उक्त कथन अपनी पुस्तक *ए थिअरी ऑफ जस्टिस* में दिया, जो 1971 में प्रकाशित हुई। कोई दो दशक पूर्व, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह उद्‌घोषित किया गया था कि भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्र अपने सभी नागरिकों के लिए "न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक" सुनिश्चित करने के लिए दृढ़–प्रतिज्ञ है। यह गौरतलब है कि यह प्रस्तावना सूची में न्याय को स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के अन्य नैतिक–राजनैतिक मूल्यों से ऊपर रखती है।

रॉल्स की पुस्तक ने जो अभिषिक्त किया, उसे ठीक–ठीक "न्याय विषयक सैद्धान्तीकरण में एक सुनहरा युग" नाम दिया गया है। परिणामस्वरूप, न्याय, जैसाकि टॉम कैम्पबैल द्वारा वर्णन किया गया, आज "प्रचलित मुख्यधारा नियामक राजनीतिक–दर्शन की केन्द्रीय व आदेशकारी अवधारणा" है। *जॉन रॉल्स एण्ड दि एजेण्डा ऑफ सोशल जस्टिस* शीर्षक से अपने सम्पादित ग्रंथ में, बी.एन. राय अनुभव करते हैं कि रॉल्स की पुस्तक ने न्याय में न सिर्फ़ विद्वान–संबंधी अभिरुचि को ही, बल्कि जन–साधारण संबंधी अभिरुचि को भी पुनर्नवीकृत किया है।

जबकि एक नैतिक–राजनैतिक मूल्य के रूप में न्याय की केन्द्रिकता के विषय में आम लोगों, राजनीतिज्ञों व तत्त्वज्ञों के बीच एक व्यापक सहमति है, उनके बीच इसके अर्थ व विस्तार पर ऐसी कोई सहमति नहीं है। इन पर उदारवादी–उपयोगितावादी, उदारवादी–समतावादी (यथा, रॉल्सियन), इच्छास्वातंत्र्यवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी तथा नारी–अधिकारवादी सिद्धान्तियों के दृष्टिकोणों में बहुत महत्त्वपूर्ण भेद हैं। उनमें से, रॉल्स द्वारा प्रस्तावित सामाजिक न्याय–संबंधी उदारवादी–समतावादी सिद्धांत एक न्यायतः केन्द्रीय स्थिति पर रहने वाला सिद्ध हुआ है। वे जिन्होंने न्याय की वैकल्पिक अथवा स्पर्धारत परिकल्पनाओं को आगे बढ़ाया, रॉल्स के सिद्धांत की तुलना और विषमता में अपने गुण अथवा योग्यता को प्रस्तुत करने हेतु विवश महसूस करते हैं।

6.2 न्याय–विचार

'न्याय' शब्द का अंग्रेजी पर्याय "जस्टिस" लैटिन शब्दों ज्युंगैर (*jungere* बाँधना, एकसाथ गाँठ देना) और जस् (*jus* – एक बंधन अथवा गाँठ) से व्युत्पन्न हुआ है। एक बाँधती अथवा जोड़ती अवधारणा के रूप में, न्याय हर व्यक्ति को अधिकारों व कर्तव्यों, पुरस्कारों व दण्डों का *यथोचित* हिस्सा बाँटकर लोगों को संबंधों की एक *उपयुक्त* अथवा *उचित* व्यवस्था के भीतर संगठित करने का काम करता है। रोमन सम्राट, जस्टीनियन, ने न्याय के (लैटिन में) कुछ नीति–वाक्य निर्दिष्ट किए, जैसे ऑल्टरम नॉन लोदेर (*alterum non laedere* –दूसरों को क्षति अथवा चोट न पहुँचाना); और सुअम कुइक ट्रिब्यूरे (*uum cuique tribuere* – प्रत्येक जिसको जो यथोचित हो आबंटित करना)। न्याय–संबंधी जस्टीनियन के नीति–वाक्य यूनानी दार्शनिक अरस्तू से प्राप्त किए गए थे, जिसने न्याय को इस रूप में परिभाषित किया था : समानों का समानता से और असमानों का असमानता से उनकी असमानताओं के अनुपात में बरताव करना। उसने न्याय के तीन प्रकारों को भी पहचाना, नामतः, वितरणकारी न्याय, दोष निवारक न्याय तथा क्रमविनिमेय न्याय (यथा, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बदले में तुल्य–परिमाण का न्याय)।

एक नैतिक–राजनैतिक मूल्य के रूप में, न्याय ऐसे ही अन्य नैतिक–राजनैतिक मूल्यों से अन्तर्संबद्ध है जैसे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। किसी समाज अथवा राज्य को जो एक बुनियादी अर्थ में न्यायसंगत बनाता है, वह है उसका हर व्यक्ति को उसके *यथोचित* अधिकारों व कर्तव्यों के साथ–साथ यथोचित पुरस्कार व दण्ड देकर मानवीय संबंधों का *उपयुक्त* अथवा *उचित* विनियमन करना। न्याय यह काम स्वतंत्रता, समानता, सहयोजन, आदि सिद्धांतों के बीच समन्वय पैदा करके करता है। परम्परागत रूप से, तब, न्याय के सिद्धांत को एक ऐसा सिद्धांत माना जाता था जो स्वतंत्रता, समानता, आदि सिद्धांतों को *तौलता* अथवा *संगत बनाता* है। इस प्रकार का तौलना अथवा संगत बनाना किसी निर्णायक मूल्य के संदर्भ में किया जाता है, उदाहरणार्थ, अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी का मूल्य

अथवा किसी समाज के *सभी* सदस्यों की आज़ादी और बराबरी का मूल्य। इस संदर्भ में, प्रसंगतः यह गौर किया जा सकता है कि न्याय की तौलने अथवा संगत बनाने वाली प्रकृति ही है, जिसका प्रतिनिधित्व चेतन रूप में वर्णित वह न्याय की मूर्ति करती है, जो अपने हाथों में एक तराजू धारण किए रहती है।

6.2.1 प्रक्रियात्मक न्याय और सत्तावाची न्याय

न्याय की चर्चाओं में प्रक्रियात्मक न्याय और सत्तावाची न्याय में भेद किया जाता है। पूर्ववर्ती उन प्रक्रियाओं तथा क्रियाविधियों की न्यायसंगति अथवा औचित्य अथवा निष्पक्षता की ओर संकेत करता है, जिनके माध्यम से किसी नियम अथवा नीति अथवा निर्णय पर पहुँचा जाता है और उसे प्रयोग में लाया जाता है। सत्तावाची न्याय नियमों, नीतियों, निर्णयों, आदि की विषय–वस्तु अथवा परिणाम की न्यायसंगति अथवा औचित्य की ओर संकेत करता है।

प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत पारंपरिक रूप से व्यक्तियों की, *ऐहिक* समानता–संबंधी धारणा पर आधारित रहे हैं, यथा, मनुष्यों के रूप में अथवा विधि–विधान की प्रजा के रूप में, लिंग, धर्म, प्रजाति, जाति, समृद्धि, आदि में उनके भेदों *पर ध्यान दिए बग़ैर*। बहुधा, अधिकार–आधारित न्याय को प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में देखा जाता है, जबकि आवश्यकता–आधारित न्याय को सत्तावाची न्याय के रूप में देखा जाता है।

जॉन रॉल्स, न्यायसंगत सामाजिक प्राथमिक वस्तु–वितरण संबंधी जिनके सिद्धांतों पर हम नीचे विचार करेंगे, का दावा है कि उनकी परिकल्पना "विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय" की परिकल्पना है। *विशुद्ध* प्रक्रियात्मक न्याय से उनका तात्पर्य है, कि उनके वितरणकारी सिद्धांतों का न्याय–विचार उस प्रक्रिया के न्याय–यथा–औचित्य पर स्थापित है जिसके माध्यम से उनका नाम हुआ है और कि वे न्याय अथवा औचित्य का कोई स्वतंत्र अथवा पूर्ववर्ती मापदण्ड नहीं रखते। यदि वे सिद्धांत न्याय अथवा औचित्य संबंधी इस प्रकार का स्वतंत्र अथवा पूर्ववर्ती मापदण्ड रखा करते, तो वे *दोषयुक्त* प्रक्रियात्मक न्याय के सिद्धांत हुआ करते। जैसा कि हम नीचे देखेंगे, रॉल्स के इच्छास्वातंत्र्यवादी आलोचक, रॉबर्ट नोज़िक, दावा करते हैं कि प्रथमोक्त की परिकल्पना वास्तव में कोई प्रक्रियात्मक परिकल्पना नहीं है, बल्कि "अंत्यावस्था" अथवा "गढ़े हुए" न्याय–संबंधी सिद्धांतों का एक सेट है।

6.2.2 आवश्यकताएँ, अधिकार और दण्ड–पुरस्कार

ऊपर न्याय की अधिकार–आधारित व आवश्यकता–आधारित संकल्पनाओं का एक सरसरी संदर्भ दिया गया है। उनका क्या मतलब है और वे पुरस्कार–दण्डाधारित न्याय से किस प्रकार भिन्न हैं, नीचे इंगित किया गया है।

आवश्यकता–आधारित न्याय का सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादन मार्क्स का साम्यवाद सिद्धांत है : "हर एक अपनी योग्यता के अनुसार से, हर एक अपनी आवश्यकता के अनुसार तक।" सामान्यतया, समाजशास्त्री एक न एक आवश्यकता–आधारित, समतावादी न्याय की व्याख्या को स्वीकार करते हैं। वे आवश्यकताओं, खासकर मूलभूत दैहिक आवश्यकताओं, तथा अभावों, पसंदों अथवा इच्छाओं में भेद करते हैं। प्रथमोक्त को वस्तुपरक और सार्वत्रिक माना जाता है, जबकि परवर्तियों को संस्कृति–आधारित और पण्य–आधारित समझा जाता है। अब्राहम मैसलो के अनुसार, मानवीय आवश्यकताओं का एक तारतम्य है, निर्मल वायु, जल, भोजन, आश्रय हेतु हमारी सर्वाधिक मौलिक आवश्यकताओं से लेकर सुरक्षा, प्यार,

आत्म–सम्मान व आत्म–बोध हेतु हमारी आवश्यकताओं तक ज़ाहिर है, आवश्यकता–आधारित न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके पार संसाधनों के साम्यवादी वितरण हेतु आह्वान करता है।

न्याय की अधिकार–आधारित संकल्पनाएँ समतावादी, आवश्यकता–आधारित न्याय से भिन्न हैं। व्यापक उदारवाद के अनुसार (लॉक एवं ह्यूम), राज्य का मुख्य प्रकार्य व्यक्तियों के नकारात्मक स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा करना है। कल्याणकारी राज्य अथवा समतावादी उदारवादीजन नागरिकों के सकारात्मक स्वातंत्र्य अथवा कल्याणकारी अधिकारों पर ज़ोर देते हैं। आज के इच्छास्वातंत्र्यवादी (उदाहरणार्थ, नोज़िक), जो व्यापक उदारवाद के उत्तराधिकारी हैं, सामाजिक न्याय की एक हक़दारी–केन्द्रित, ग़ैर–समतावादी संकल्पना अपनाते हैं।

न्याय की दण्ड–पुरस्कार आधारित संकल्पनाओं का जब–तब "प्राकृतिक न्याय" के रूप में उल्लेख किया जाता है। यह अधिकार–आधारित न्याय की एक अनम्य ग़ैर–साम्यवादी व्याख्या है। यह व्यक्तियों के उन प्राकृतिक गुण–दोषों अथवा सहज योग्यता की धारणा पर ज़ोर देता है जिनको माना जाता है कि एक ईश्वर–प्रदत्त, प्राकृतिक, चीज़ों के अपरिवर्त्य क्रम के आधार का निर्माण करते हैं। एडमण्ड बर्क और हर्बर्ट स्पेंसर इन्हीं विचारों को मानते हैं। स्पेंसर की धारणा है कि हर व्यक्ति को "अपने ही स्वभाव तथा संगत व्यवहार के लाभ और बुराइयाँ" मिलनी चाहिए। ये विचार मुक्त–बाज़ार पूँजीवाद का एक रूढ़ीवादी, सामाजिक–डार्विनवादी बचाव पक्ष प्रस्तुत करने का काम करते हैं।

6.3 रॉल्स के सामाजिक न्याय संबंधी उदारवादी–समतावादी सिद्धांत

6.3.1 उपयोगितावाद की समीक्षा

सामाजिक न्याय संबंधी रॉल्स के सिद्धांत अधिक से–अधिक जनता की अधिक से–अधिक सुख शांति के उदारवादी–उपयोगितावादी सिद्धांत का एक दोष निवारक है। तो फिर उपयोगितावाद के प्रति उसकी आपत्तियाँ क्या हैं?

रॉल्स का मानना है कि उदारवादी उपयोगितावाद ने व्यक्तिवादी अधिकारों के सहारे व्यापक उदारवाद के पूर्वाधिकार से एक प्रगतिशील, कल्याणाभिमुख प्रत्यन्तर को सूचित किया। फिर भी, उपयोगितावाद, रॉल्स के दृष्टिकोण से, न्याय की एक दोषपूर्ण परिकल्पना है। इसका नैतिक दोष यह है कि वह वृहत्तम जनसंख्या की सुख–शांति की ख़ातिर कुछ व्यक्तियों की भलाई के बलिदान को सही ठहराता है अथवा अनदेखी करता है। उपयोगितावादियों के अनुसार, किसी समाज में न्याय का मापदण्ड उस उपयोगिता अथवा सुख–शांति अथवा कल्याण का कुल योग ही है, जो वह उत्पन्न करता है, न कि समाज के *प्रत्येक* सदस्य का कुशल–क्षेम अथवा कल्याण।

'उपयोगितावाद हेतु एक विकल्प' की अपनी समीक्षा में, रॉल्स को हर एक मनुष्य की स्वतंत्रता और समानता संबंधी इमैन्युअल कैन्ट के नैतिक विचार से प्रेरणा मिलती है। कैन्ट के अनुसार, हर मनुष्य के साथ स्वयं में ही साध्य के रूप में व्यवहार किया जाना है, न कि दूसरों के साध्यों हेतु साधन रूप में। यह वो *उदारवादी–समतावादी* नैतिक सिद्धांत ही है, जिसका उपयोगितावाद द्वारा उल्लंघन किया जाता है और रॉल्स सामाजिक न्याय–संबंधी अपनी परिकल्पना में जिसे पूर्वावस्था में ही पुनर्स्थापित करते हैं। वितरणकारी अथवा सामाजिक न्याय संबंधी सिद्धांतों पर पहुँचने की अपनी पद्धति अथवा कार्यविधि में और, *परिणामतः*, उन सिद्धांतों की विषय–वस्तु अथवा निष्कर्ष, दोनों में ही, रॉल्स हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के नैतिक सिद्धांत को केन्द्रिकता प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

6.3.2 रॉल्स के न्याय संबंधी उदारवादी–समतावादी सिद्धांत

रॉल्स के अनुसार, एक स्थायी, युक्तिसंगत रूप से धनी समाज "परस्पर लाभ हेतु एक सहकारी साहस–कार्य" होता है। सहकारिता के साथ–साथ, उसके सदस्यों के बीच सामाजिक जीवन–निर्वाह के दायित्वों व लाभों के अपने हिस्से को लेकर विचार–भिन्नता भी होती है। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के लाभों व दायित्वों का वितरण उसके सभी सदस्यों हेतु न्यायसंगत व निष्पक्ष हो। समाज की आधारीय संस्थाओं का, रॉल्स के अनुसार, निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि समाज के सभी सदस्यों हेतु "सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं" का निरन्तर वितरण एक *निष्पक्ष अथवा न्यायसंगत* रीति से सुनिश्चित हो। "सामाजिक प्राथमिक वस्तुएँ" वे वस्तुएँ हैं, जो किसी समाज के *बुनियादी ढाँचे* द्वारा वितरित की जाती हैं। इनमें शामिल हैं, अधिकार व स्वतंत्रताएँ, शक्तियाँ व अवसर, तथा आय व समृद्धि। रॉल्स का तर्क है कि एक समाज के सभी सदस्यों के बीच इन सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का वितरण विधिसंगत होगा, यदि वितरण न्याय के निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है :

सिद्धांत 1 : (समान मौलिक स्वतंत्रताओं का सिद्धांत) :

हर व्यक्ति समान मौलिक स्वतंत्रताओं की एक पूर्णतः यथेष्ट कार्ययोजना हेतु अनन्य अलोप्य अध्यर्थ रखता है, कार्ययोजना जो कि सभी के लिए स्वतंत्रताओं की एक ही कार्ययोजना के अनुरूप हो।

सिद्धांत 2 : (2–i : अवसर की निष्पक्ष समानता; 2–ii : मत–द्वैध सिद्धांत) :

सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दो शर्तें पूरी करनी होती है; प्रथम, उन्हें अवसर की निष्पक्ष समानता–संबंधी शर्तों के तहत सभी हेतु आरक्षित कार्यालयों व पदों से जोड़ना होता है; और दूसरे, उन्हें समाज के न्यूनतम–लाभान्वित सदस्यों के अधिकतम लाभार्थ हेतु बनना होता है।

ये सिद्धांत यहाँ उनकी शाब्दिक प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध किए जाते हैं। "शाब्दिक प्राथमिक" से रॉल्स का तात्पर्य है कि अगला सिद्धांत लागू किए जाने से पहले प्रथम सिद्धांत पूरी तौर से संतुष्ट किया जाना अत्यावश्यक होता है। इसका अर्थ है, उदाहरण के लिए, कि "स्वतंत्रता को सिर्फ़ स्वतंत्रता के आशय से ही प्रतिबंधित किया जा सकता है", न कि, कहिए, आय अथवा समृद्धि की ख़ातिर। यह वैसे इस संदर्भ में ग़ौरतलब है कि रॉल्स का मानना है कि वह समाज जिसमें सामाजिक न्याय–संबंधी उसके सिद्धांत लागू किए जाने हैं, ऐसा समाज है जो तर्कसंगत रूप से धनी है और जिसमें सभी की बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं का भरण–पोषण होता है।

प्राथमिकता–संबंधी नियम का मुख्य उद्देश्य अन्य प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं की बजाय समान मौलिक स्वतंत्रताओं को अधिक महत्त्व देना है। "मौलिक स्वतंत्रताओं" में, रॉल्स शामिल करते हैं – विवेक की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, निजी सम्पत्ति रखने संबंधी अधिकार के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता, यादृच्छिक बंदीकरण व नज़रबंदी से स्वतंत्रता अथवा, दूसरे शब्दों में, कानून के शासन की स्वतंत्रता, भाषण व सभा की स्वतंत्रता तथा राजनीतिक स्वतंत्रताएँ।

रॉल्स के अनुसार, ये मौलिक अधिकार व स्वतंत्रताएँ हमें अपनी "दो उच्चतम–क्रम नैतिक शक्तियों" का व्यवहार और बोध करने में समर्थ करती हैं, अर्थात् (i) न्याय–सिद्धांतों के अनुसार ही बातों को

समझने, प्रयोग में लाने एवं व्यवहार करने की क्षमता; और (ii) भलाई की भावनाएँ विकसित करने, संशोधनार्थ दोहराने और तत्परता के साथ कायम रखने हेतु क्षमता।

रॉल्स के दृष्टिकोण में, एक विधिसंगत समाज के प्रत्येक सदस्य को इन दो नैतिक क्षमताओं के धारक के रूप में देखा जाना चाहिए। ये उन्हें *स्वतंत्र व समान* नागरिक बनाती हैं। नागरिकों की नैतिक समानता का अर्थ है कि "उनमें हर कोई उन सिद्धांतों को निर्धारित करने में समान आदर व सम्मान का अधिकार रखे, और स्वयं को धारक के रूप में देखे, जिनके माध्यम से उनके समाज की आधारीय व्यवस्थाओं को नियमित किया जाना है।" नागरिकों की स्वतंत्रता में उत्तम जीवन–संबंधी उनकी अपनी धारणा को कायम रखने हेतु अपनी क्षमता का बोध करने की उनकी स्वतंत्रता शामिल है।

चूँकि सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं के वितरण को समाज के सभी सदस्यों की समानता *एवं* स्वतंत्रता *एवं* "भाईचारे" *एवं* कल्याण, आदि का आदर करना पड़ेगा, यह कठोर नियम–निष्ठतः पटल के आरपार एक *समान* वितरण नहीं हो सकता। रॉल्स के अनुसार, एक बार लोगों की बुनियादी भौतिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाने के बाद, मूल स्वतंत्रताओं संबंधी उनके अधिकार को उन अन्य सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं हेतु उनके अधिकार से ऊपर प्राथमिकता दी जानी होती है, जो समान–अवसर सिद्धांत तथा मत–द्वैध सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित हैं। जबकि वह मौलिक स्वतंत्रताओं के किसी भी असमान वितरण के खिलाफ़ हैं, उनका मानना है कि आय व समृद्धि में कुछ असमानताएँ अपरिहार्य और शायद अनिच्छित नहीं हैं। तदनुसार, सामाजिक न्याय–संबंधी उसके दूसरे सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य असमानताओं को *निष्पक्षता–रूपी–न्याय* के बंधनों में रखता है। स्पष्टतः, विधिसंगत अथवा उचित असमानताओं तथा विधिविरुद्ध अथवा अनुचित असमानताओं के बीच अंतर सामाजिक न्याय–संबंधी रॉल्स के सिद्धांत में निर्णायक महत्त्व का है।

रॉल्स का सोचना है कि आय व समृद्धि में अत्यधिक समानता अधिक रचनात्मकता और उत्पादकता हेतु आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहनों को व्यर्थ कर देगी। यह अमीर और ग़रीब दोनों के लिए हानिकारक होगा। ग़रीब के (साथ ही साथ अमीर के) दृष्टिकोण से, न्याय को सम्पूर्ण आर्थिक असमानता निवारण की ज़रूरत नहीं। रॉल्स का मानना है कि कुछ असमानताएँ, जो प्रतिभासम्पन्न और गुणीजनों की अधिक रचनात्मकता व उत्पादकता हेतु प्रोत्साहनों के रूप में काम करती हैं, विधिविरुद्ध नहीं हैं यदि वह महत्तर रचनात्मकता व उत्पादकता सभी, *विशेष रूप से* समाज के निम्ननतम लाभान्वित सदस्यों, के हितार्थ वितरण हेतु एक सामाजिक–प्राधारीय अथवा संस्थागत व्यवस्था के भीतर एकीकृत हैं। उनका यह भी सोचना है कि निम्नतम लाभांवितों को लाभ पहुँचाना निरपवाद रूप से हर किसी के लिए लाभ पहुँचाने का अनुक्रम बंधन करेगा।

रॉल्स की धारणा है कि कोई समाज अपनी मौलिक संस्थाओं का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण इस प्रकार कर सकता है कि आय व समृद्धि में असमानताएँ निम्नतम लाभांवितों हेतु अधिकतम लाभ उत्पन्न करें – अधिकतम किसी तर्कसंगत, वैकल्पिक सामाजिक पुनर्स्थापना की तुलना में। उनके मत–द्वैध सिद्धांत का अर्थ आय क्रमों या समृद्धि में असमानता के स्थान पर समानता लाना नहीं है, बल्कि निम्नतम लाभांवितों के लाभों को अधिकतम सीमा तक बढ़ाकर आर्थिक असमानताओं की अनुचित अथवा विधिविरुद्ध क्रमों या श्रेणियों को एक उचित अथवा विधिसंगत क्रम या श्रेणी में बदल देना है। मत–द्वैध सिद्धांत के अनुसार, वे असमानताएँ जो खुशहालों के लिए तो लाभकर हैं, परन्तु निम्नतम लाभांवितों के लिए नहीं, विधिविरुद्ध हैं।

रॉल्स के निष्पक्ष आवसरिक समानता–संबंधी सिद्धांत की यह शर्त है कि राज्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिधियों में उचित समानता सुनिश्चित करने के साथ–साथ बेरोज़गारी तथा अस्वस्थता लाभ भी प्रदान करे। स्कूल चलाने अथवा उनको आर्थिक सहायता देने, अर्थव्यवस्था को नियमित करने, आदि के लिए इनको एक मध्यस्थतावादी, कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता होती है।

न्याय के वे सिद्धांत जिन पर अभी तक हमने चर्चा की, की रॉल्स द्वारा न्याय की एक "आम" अवधारणा के "खास" प्रतिपादनों के रूप में व्याख्या की गई है। इस आम अवधारणा को इस रूप में कहा गया है :

> सभी सामाजिक प्राथमिक वस्तुएँ – स्वतंत्रता एवं अवसर, आय एवं समृद्धि तथा आत्म–सम्मान के आधार – समान रूप से वितरित की जानी हैं, जब तक कि इन वस्तुओं में से कोई अथवा सभी का एक असमान वितरण निम्नतम उपकृत के लाभार्थ न हो।

न्याय की इस आम अवधारणा से रॉल्स का जो तात्पर्य है वो यह है कि सिर्फ़ वही असमानताएँ विधिविरुद्ध हैं जो, जैसा कि उपयोगितावाद के उदाहरण में, समाज के कुछ सदस्यों को एक प्रतिकूल अवस्था में रखते हैं।

न्याय की यह "आम" अवधारणा, बहरहाल, विभिन्न सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं के बीच भेद नहीं करती है। यह नहीं बतलाती, उदाहरण के लिए, आय–वितरण और स्वतंत्रता–वितरण के बीच विवाद यदि कोई है तो कैसे हल करें। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए ही रॉल्स इस आम अवधारणा को उन दो सिद्धांतों को एक 'विशेष संकल्पना" में बाँट देते हैं, जिनकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं।

6.3.3 सामाजिक अनुबंध प्रक्रिया

अब तक हमारा ध्यान रॉल्स के सामाजिक / वितरणकारी न्याय–सिद्धांतों पर केन्द्रित रहा। चलिए, अब उन सिद्धांतों के बचाव–पक्ष में तर्क–संबंधी उसकी रीति अथवा कार्यविधि की ओर मुख़्तसरन रुख़ करते हैं। हमें क्यों, रॉल्स के अनुसार, उनके सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए, बेशक कुछ अन्य सिद्धांत (कहिए, उपयोगितावादी अथवा इच्छास्वातंत्र्यवादी सिद्धांत) भी हैं, जैसे *विधिसंगत अथवा निष्पक्ष* वितरण–संबंधी सिद्धांत।

संक्षिप्ततः कथित, रॉल्स का उत्तर यह है कि एक सामाजिक अनुबंध प्रणाली अथवा राजनीतिक मंत्रणा वाली कार्यविधि *सभी* व्यक्तियों की स्वतंत्रता व समानता के कैन्टियन उदारवादी–समतावादी नैतिक विचार का सम्मान करती है और कि इस प्रकार की प्रणाली अथवा कार्यविधि के माध्यम से हुआ समझौता अथवा उस अनुबंध विशेष के *सभी* पक्षों हेतु विधिसंगत अथवा उचित होता है। वह, वस्तुतः, इस प्रकार की कार्यविधि को ही अपनाते हैं और तर्क देते हैं कि सभी अनुबंधक वितरणकारी न्याय–सिद्धांतों के उपरोल्लिखित *आम* और *खास* प्रतिपादनों से सहमत होंगे – वे सिद्धांत जिनका वह सामाजिक न्याय के उदारवादी–लोकतांत्रिक– समतावादी सिद्धांतों के रूप में समर्थन व बचाव करते हैं।

उनका सामाजिक अनुबंध आनुमानिक है, न कि ऐतिहासिक अथवा वास्तविक। इसका तात्पर्य सिर्फ़ एक परिकल्पित सभा अथवा "परिवार–प्रमुखों" की "मूल अवस्था" से है। वे परिकल्पनात्मक रूप से वितरणकारी न्याय के आम सिद्धांतों पर एक सहमति अथवा सामाजिक अनुबंध का अंग बनने के लिहाज़ से एकत्र होते हैं, जिसके आधार पर उनके समाज की संस्थाओं का निर्माण किया जाना है।

अपने समझौते अथवा सामाजिक अनुबंध में पक्षपातशून्यता अथवा निष्पक्षता सुनिश्चित करने और व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता संबंधी नैतिक धारणा को समाविष्ट करने के उद्देश्य से, रॉल्स यह मानते हैं कि उनकी "मूल अवस्था" में अनुबंधक अपने सहजगुणों, वर्ग, सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा भलाई संबंधी अपनी संकल्पनाओं के बारे में एक "अज्ञान के पर्दे" में होते हैं। वे बहरहाल न्याय की सामान्य परिस्थितियों की जानकारी अवश्य रखते हैं, जैसे कि लोगों की सीमित परहितेच्छा और सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं की मात्रा को लेकर हितों में विचार भिन्नता। वे यह भी जानते हैं कि उस वास्तविक समाज में, जिसमें उन्हें रहना पड़ता है, वे शायद समाज के निम्नतम लाभांवित सदस्यों की स्थिति में ही पहुँच जाएँगे। वास्तविक स्थिति के विषय में यदि अनिश्चितता व्यक्त हो, जिसमें एक अनुबंधक वास्तविक समाज में आ सकता है, उसके लिए (अनुबंधन स्थिति) यथा "मूल अवस्था" में, यह मान लेना कि वह निम्नतम–लाभंवित स्थिति में पहुँच सकता अथवा सकती है, और तदनुसार, वितरण का एक ऐसा आम सिद्धांत चुनना जो समाज के निम्नतम लाभांवित सदस्यों को अच्छे से अच्छा भाग दिलाये। प्रत्येक अनुबंधक, दूसरे शब्दों में, पसंद का "न्यूनाधिक नियम" अपनाता है, जो कहता है कि एक अनिश्चय की स्थिति में, आपको विकल्प इस प्रकार चुनना चाहिए कि आपकी न्यूनतम संभावनाएँ अधिकतम सीमा तक बढ़ें।

एक साथ लिए जाने पर, सामाजिक न्याय संबंधी रॉल्स के सिद्धांत, उनको शाब्दिक वरीयता के क्रम में रखे जाने पर, कैन्ट की उदारवादी–समतावादी नैतिक निषेधाज्ञा को प्रस्तुत करते हैं; यथा, कि मनुष्यों को हमेशा स्वयं में साध्य समझा जाएगा और कभी भी महज़ दूसरों के साध्यों का साधन नहीं। इस लिहाज से, भलाई संबंधी किसी बहुमतवादी अथवा उपयोगितावादी संकल्पनाओं की ख़ातिर कुछ व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं को बलिदान नहीं किया जा सकता है। उदारवादी–उपयोगितावादी न्याय से भिन्न, रॉल्स का उदारवादी–समतावादी न्याय *प्रत्येक व्यक्ति* की समानता और कल्याण हेतु गंभीर चिंता द्वारा सूचित है, जिसमें शामिल हैं, ख़ासकर, समाज के निम्नतम लाभांवित सदस्य।

6.3.4 समाज की मूल संरचना

रॉल्स ने प्रत्यायक रूप से दर्शाया है कि सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय हेतु निर्णायक महत्त्व का है और कि उसको संविधान, विधि–संहिता, नीतियाँ, कानूनी प्रक्रियाएँ, आदि सूचित करने चाहिए। वास्तव में, उनके अनुसार, न्याय का मुख्य विषय समाज का मूल प्राधार ही है। सामाजिक न्याय संबंधी उनका सिद्धांत उदारवादी लोकतंत्र, एक नियमित पण्य अर्थव्यवस्था और उदारवादी–समतावादी कल्याणकारी राज्य, को उचित सिद्ध करता है, और उसके द्वारा उचित सिद्ध किया जाता है। उनका कहना है कि उनके विभेद सिद्धांत को व्यवहारपरक बनाने के लिए, सरकार को चार शाखाएँ रखनी चाहिए, यथा, (i) "मूल्य प्रणाली को सुचारू रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने और तर्कहीन पण्य शक्ति विरचन से बचाने हेतु" एक आबंटन शाखा; (ii) तर्कसंगत रूप से पूर्ण रोज़गार" उत्पन्न करने हेतु एक स्थिरीकरण शाखा और, पण्य अर्थव्यवस्था की सामर्थ्य कायम रखने हेतु, संयुक्त रूप से आबंटन शाखा के साथ; (iii) "आवश्यकता और एक उचित जीवन स्तर की माँगों" से निबटने के लिए एक हस्तांतरण शाखा; तथा (iv) कराधान मानदण्डों और स्वामित्व–अधिकारों में समायोजनों द्वारा" वितरणात्मक शेयरों में उचित न्याय परिरक्षण हेतु" एक वितरणकारी शाखा।

6.4 रॉल्स की न्याय संबंधी उदारवादी–समतावादी संकल्पना की कुछ समालोचनाएँ

6.4.1 इच्छास्वातंत्र्यवादी समीक्षा

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, सामाजिक न्याय–संबंधी रॉल्स की उदारवादी–समतावादी संकल्पना समकालीन राजनीति–दर्शन में एक केन्द्रीय स्थान रखती है। परन्तु यह कोई चुनौतीहीन अथवा निर्विरोध संकल्पना नहीं है। अनेक राजनीतिक मर्मज्ञों ने इसकी आलोचना की है और न्याय की वैकल्पिक संकल्पनाओं को आगे बढ़ाया है। इन आलोचनाओं व विकल्पों में से कुछ का संकेत नीचे है।

रॉल्स की न्याय–संबंधी उदारवादी–समतावादी संकल्पना उनके परलोकगत सहकर्मी, रॉबर्ट नोज़िक, द्वारा की गई एक यथातथ्य समीक्षा का विषय बनायी गई है। अपनी पुस्तक, *ऐनॉर्की, स्टेट एण्ड यूटोपिया* (1974), में नोज़िक एक ओर न्याय की "अन्त्यस्थिति" व "गढ़ती" संकल्पनाओं और दूसरी ओर "ऐतिहासिक" व "हक़दारी–आधारित" संकल्पनाओं के बीच भेद प्रकट करते हैं। पूर्ववर्ती प्रकार के न्याय किसी अंतिम–चरण लक्ष्य के नाम पर राज्य द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण अथवा रचना कार्य किए जाने हेतु आह्वान करते हैं। रॉल्स की न्याय–संबंधी संकल्पना, नोज़िक के अनुसार, एक इस प्रकार की अन्त्यस्थिति और गढ़ती संकल्पना है, जो व्यक्तियों के स्वतंत्रता अधिकारों को गुप्त रूप से क्षति पहुँचाते हुए उनके प्रति अनुचित और अन्यायपूर्ण है। वितरण–संबंधी किसी भी अन्त्यस्थिति अथवा गढ़े जाते सिद्धांतों को विहित करने की बजाय, नोज़िक हमारी अधिकारस्थ सम्पत्तियों हेतु *स्वत्वाधिकारों* के अर्जन–संबंधी *इतिहास* में न्याय अथवा अन्याय खोजते हैं।

उनके अनुसार, व्यक्ति को सम्पत्ति रखने और उसे पण्यक्षेत्र में विनिमय करने समेत असीम स्वतंत्रता अधिकार हैं, इस बात पर ध्यान दिए बग़ैर कि अन्त्यास्थिति अथवा वितरण प्रतिमान को यह किस ओर अभिमुख करे। इस न्याय–संबंधी हक़दारी सिद्धांत में, हालाँकि एक संशोधनकारी न्याय–सिद्धांत शामिल हैं, जो सम्पत्ति के अर्जन अथवा हस्तांतरण में, यदि कोई, अतीत में हुए अन्यायों को सुधारने हेतु है। यह देखा जा सकता है कि न्याय–संबंधी नोज़िक की इच्छास्वातंत्र्यवादी संकल्पना एक मुक्त–पण्य पूँजीवाद–संबंधी प्रतिवाद है। जबकि राज्य के हस्तक्षेप से वैयक्तिक अधिकारों के प्रतिवाद पर यह वाग्मितापूर्ण है, अत्यंत धनाढ्य जन समाज अथवा निगमों द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता अथवा समानता को गुप्त रूप से क्षति पहुँचाए जाने पर यह मौन है।

6.4.2 कुछ मार्क्सवादी समालोचनाएँ

पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर निष्पक्ष अथवा न्यायसंगत वितरणों के साथ उनकी ध्यानमग्नता तथा पूँजीपतियों व कामगारों के बीच इसकी अन्तर्भूत अथवा अन्तर्निहित शोषणकारी अथवा विमुखकारी असमानताओं को बतलाने में उनकी विफलता के कारण अनेक मार्क्सवादीजन उदारवादी समतावादियों की आलोचना करते हैं। वह आदर्श पंचायती राज्यवादी समाज, जो कि मार्क्सवाद उत्पादन–साधनों की निजी स्वामित्व व्यवस्था के विध्वंस के माध्यम से बनाना चाहता है, एक ऐसे समाज के रूप में समझा जाता है जिसमें कोई अभाव नहीं, मानवीय परिहितेच्छा की कोई सीमा नहीं और कोई राज्य नहीं होगा। चूँकि रॉल्स की परिकल्पना के अनुसार सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का अभाव और

मानवीय परहितेच्छा का सीमित स्वभाव ही "न्याय की परिस्थितियाँ" हैं, पंचायती राज्यवादी समाज में उनकी (फ़र्ज की गई) ग़ैरमौजूदगी किन्हीं भी निष्पक्ष अथवा न्यायसंगत वितरण–सिद्धांतों को इस प्रकार के समाज के प्रति असंगत बना देती है। किसी भी इस प्रकार के न्यायविधान–संबंधी, अधिरचनात्मक वितरणकारी सिद्धांत की बजाय, स्वायत्त शासन द्वारा परिकल्पित समाधिकार का उच्चतर स्वरूप इस सिद्धांत के अनुसार काम करेगा : "हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार।" समाजवादी चरण में, जो आगे आता है और उच्चतर व अंतिम साम्यवादी चरण को जन्म देता है, एक कार्य–आधारित अथवा योगदान–आधारित वितरण–सिद्धांत अभिभावी होगा।

असमानताओं के अपने ही प्रतिमान रखने वाले देशों में एक–एक करके अखिल रूसदेशीय प्रतिनिधि–महासभा (सोवियत) साम्यवाद की समाप्ति और "उदारीकरण" के उन्नति–क्रम ने अन्याय की "परिस्थितियों" के दूरीकरण हेतु मार्क्सवादी आशा के "यथार्थवादी" पर शंकाएँ पैदा करने का काम किया है, जिसमें सामाजिक अथवा वितरणकारी न्याय अप्रसांगिक है। दरअसल, परम्परागत मार्क्सवाद से अलग होकर, कुछ समसामयिक मार्क्सवादीजन पूँजीपतियों द्वारा कामगारों से अतिरेक मूल्य निष्कर्षण किए जाने की *अन्याय के एक व्युत्पन्न विधान* के रूप में व्याख्या करते हैं, जो, उनके अनुसार, उत्पादन–साधनों हेतु पहुँच में एक *पूर्ववर्ती और वृहत्तर अन्याय* पर आधारित है। इस प्रकार, उदारवादी–समतावादी सामाजिक न्याय की कार्यावली जो रॉल्स द्वारा आरम्भ की गई है, मार्क्सवाद पर कुछ प्रभाव रखती प्रतीत होती है।

6.4.3 समुदायवादी (Communitarian) समीक्षा

समुदायवादी सिद्धांती जन रॉल्स की न्याय संबंधी उदारवादी–समतावादी संकल्पना की आलोचना करते हैं कि वह समुदाय की भलाई की लागत पर वैयक्तिक अधिकारों पर ज़ोर देती है। अपनी पुस्तक, *लिबरॅलिज़्म एण्ड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस* (1982) में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही माइकैल सैण्डल उसकी आलोचना करते हैं जिसे वह रॉल्स की देह–मुक्त अथवा उत्ऋण स्वयं–अथवा अहम्–संबंधी धारणा पुकारते हैं, जिसके विरोध में वह *अवस्थित अहम्* की धारणा प्रस्तुत करते हैं, अर्थात् वह स्वयं अथवा अहम् जो किसी समुदाय का निरपवाद रूप से एक सदस्य है। जबकि, रॉल्स के अनुसार, अधिकार भलाई से पहले है और न्याय ही समाज का सर्वप्रथम नैतिक सद्गुण है, सैण्डल के अनुसार, न्याय महज़ एक प्रतिकारक गुण है जिसकी एक व्यक्तिवादी समाज में आवश्यकता होती है। सैण्डल के अनुसार, इसके अलावा, समुदाय की आम भलाई व्यक्तियों के अधिकारों से पहले है। चार्ल्स टेलर, आप भी एक अग्रणी समुदायवादी राजनीति–मीमांसाकार हैं, स्वयं–संबधी उदारवाद की "छिड़काई–यंत्रवादी" संकल्पना पर शोक प्रकट करते हैं। उनके अनुसार, व्यक्ति का कल्याण उसके समुदाय की भलाई पर निर्भर करता है और इसी कारण, समूह–विशेष अथवा समुदाय–विशेष के सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता व संरक्षण व्यक्तियों को स्वतंत्रता व समानता अधिकारों के न्याय–संगत वितरण की तुलना में कम महत्त्व का नहीं है।

6.5 सारांश

इस इकाई में आपने न्याय संबंधी विचार एवं अवधारणा के विषय में पढ़ा। यह राजनीति–विज्ञान के साथ–साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों में महत्त्वपूर्ण संकल्पनाओं में से एक है। न्याय के विभिन्न प्रकार

हैं; यथा, प्रक्रियात्मक तथा सत्तावाचक। न्याय के अधिकारक्षेत्र में सर्वाधिक लीक से हटकर की गई रचनाओं में एक जौन रॉल्स की रचना है। न्याय संबंधी इसकी उदारवादी–समतावादी संकल्पना मूलरूप से न्याय संबंधी उपयोगितावादी संकल्पना की समीक्षा है, निस्संदेह, रॉल्स ने भी अपनी आलोचना दी है। इस प्रकार, मार्क्सवादी, उदारवादी तथा समाजवादियों ने विभिन्न आधारों पर रॉल्सियन ढाँचे की आलोचना की है। जो चाहे सो हो, रॉल्स की परिकल्पना का अपना ही प्रवहमान समसामयिक राजनीतिक प्रवचन है।

6.6 अभ्यास

1. न्याय की संकल्पना और अवधारणा को संक्षिप्त में स्पष्ट करें।
2. रॉल्स की सामाजिक न्याय–संबंधी समतावादी संकल्पना की आलोचनात्मक जाँच करें।
3. न्याय–संबंधी रॉल्सियन संकल्पना पर एक टिप्पणी लिखें।
4. न्याय पर मार्क्सवादी विचारों की जाँच करें।
5. न्याय–संबंधी रॉल्सियन धारणा की समाजवादी समीक्षा पर एक टिप्पणी लिखें।